Clearance of 240 MW Pooyankutty Power Project

2156. SHRI E. BALANANDA'N: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

va) whether the 240 MW Pooyankutty Project, a substitute for the 240 MW Silent Valley Project, has been given final clearance;

(b) if not, what are the reasons for the delay; and

(c) by when it is likely to be cleared?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (c) Pooyankutty Hydro Electric Project was sanctioned by the Planning Commission in August, 1986 subject to forest clearance. The Ministry of Environment & Forests (MOEF) rejected this Hydro Electric Project from forest angle in December, 1988 due to non receipt of required information sought from Government of Kerala. The Government of Kerala has recently furnished the desired information to MOEF and requested to reconsider the case.

मंत्री द्वारा पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों का आउट आफ टर्न आबंटन

2157. **डा. अबरार अहमद खान :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आउट आफ़ टर्न पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों का आबंटन करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में ऐसे आबंटनों की संख्या कितनी है और क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं जिन्हें वर्ष 1989 में (जनवरी से दिसम्बर) एवं सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री द्वारा नवम्बर महीने तक आउट आफ़ टर्न पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेंसियों का आबंटन किया गया था और नई सरकार के सत्ता में आने पर वर्ष 1989 के कोटे से नई सरकार ने किन-किन लोगों को पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेंसियों का आउट आफ़ टर्न आबंटन किया था, और क्या यह आबंटन 31 दिसम्बर, 1989 तक किया गया था या उसके बाद भी किया गया था ; और

(घ) पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के अलावा मंत्री और किन-किन मदों को आउट आफ़ टर्न आबंटित कर सकते हैं ; तथा 1989 के दौरान दोनों सरकारों के मंत्रियों ने ऐसी कुल कितनी-कितनी मदों का आबंटन किया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों (डीजल/पेट्रोल) की डीलरशिपें और एल पी जी की डिस्ट्री-ब्यूटरशिपें तेल चयन बोर्ड द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को दी जाती हैं। कुछ डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अलग-अलग मामलों के गुण दोष के आधार पर सरकार के विवेकानुसार दी जाती हैं। जनवरी से नवम्बर 1989 के दौरान जिन व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्र (डीजल/पेट्रोल) और एल पी जी के वितरण केन्द्र दिये गये हैं, उनके नाम अनुपत्र में दिये हैं गये । [*See* Appendix CLV Annexure No. 72]. दिसम्बर, 1989 के दौरान स्क्रीनिंग के आधार पर कोई भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी गई जबकि उसके बाद कुछ आबंटन किये गये । कुछेक एल ओ/एल डी ओ की डीलरशिपें सरकार के विवेकानुसार दी जाती हैं । 1989 के दौरान ऐसी तीन डीलरशिपें जनवरी से नवम्बर के बीच दी गई थीं । दिसम्बर, 1989 में कोई डीलरशिप नहीं दी गई ।